स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

<u>अति–आवश्यक</u>
<u>कोरोना वायरस हेतु</u>

राजस्थान–सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आई.डी.एस.पी / 2020 / 132 दिनांकः 31-01-2020

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
समस्त अधीक्षक,
राजकीय एवं मेडिकल कॉलेज,
समस्त संयुक्त निदेशक जोन,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः–कोरोना वायरस के बचाव, उपचार व नियंत्रण हेतु आवश्यक गतिविधियॉ करवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में "कोरोना वायरस" रोग चीन से प्रारम्भ होकर अनेक देशों में फैल रहा है। इस संबंध में कोरोना वायरस रोग के बचाव, नियंत्रण, उपचार, जांच व प्रचार–प्रसार आदि कार्य चिकित्सा विभाग द्वारा किये जा रहे है। इस संबंध में चीन से आने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा दी जानी है। आप अपने जिलो में समस्त राजकीय व निजी चिकित्सा संस्थानों पर आने वाले सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार व अन्य लक्षणों के रोगियों से, चिकित्सक उपचार से पूर्व चीन यात्रा का विवरण लेने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

15 जनवरी, 2020 से चीन से आने वाले व्यक्तियों को आईसोलेशन वार्ड में भर्ती करते हुए कोरोना वायरस की जांच हेतु सैम्पल लिया जावें। साथ ही यात्री को घर पर आगामी 28 दिवस तक होम आईसोलेशन करवाये जावें।

होटल एसोसियेशन एवं पुलिस विभाग से समन्वय स्थपित कर, चीन से यात्रा कर आने वाले पर्यटको की सूची प्राप्त करते हुये स्क्रीनिंग करें।

कोरोना वायरस रोग से बचाव हेतु आमजन को पेम्पलेट्स, बैनर, फैलेक्स इत्यादि के माध्यम से जागरूक किया जायें। जिलें में पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट, N-95 मास्क, वीटीएम एवं ट्रिपल लेयर मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

साथ ही जिले में अन्य विभागों यथा–पुलिस, शिक्षा, पंचायती राज, महिला बाल विकास, नगर–निगम, आयुष, आईएमए से अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित करते हुये जिले में प्रतिदिन कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु समीक्षा बैठक का आयोजन किया जायें।

संयुक्त निदेशक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने जिलों में निजी चिकित्सालयो / चिकित्सक की बैठक आयोजित कर कोरोना वायरस रोग से संबंधित दिशा–निर्देशों से अवगत कराते हुये पालना सुनिश्चित करावें।

भारत सरकार द्वारा जारी समस्त दिशा–निर्देशों यथा स्क्रीनिंग, सैम्पल कलेक्शन, उपचार, डिस्चार्ज इत्यादि की पालना सुनिश्चित की जावें। साथ ही प्रतिदिन निश्चित समय पर निर्धारित प्रपत्र में **ई–मेल आई.डी. rajasthan_idsp@yahoo.co.in** पर भिजवाना सुनिश्चित करें।
संलग्नः–भारत सरकार के दिशा–निर्देश मय नवीन डिस्चार्ज गाईडलाईन।

31/01/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान, जयपुर

E:\IDD CELL\letter.docx

क्रमांकः आई.डी.एस.पी / 2020 / 132 दिनांकः 31-01-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान।
3. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, निदेशक (जनस्वास्थ्य), मुख्यालय।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
7. नोडल ऑफिसर (आईडीएसपी) मुख्यालय।
8. समस्त उप मुख्य चिकित्स एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि संबंधित को ई—मेल करावें तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
11. कार्यालय प्रति।

निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA